न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा(धौलपुर)

पीठासीन अधिकारी – देवी सिहं (आर0ए0एस0)
मूल वाद सं– 01/23

1. गोपाल सिंह पुत्र झम्मन जाति जाटव निवासी अम्बरपुर तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार राजाखेडा जिला धौलपुर
2. श्रीमान प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा राजाखेडा जिला धौलपुर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट नक्शा दुरूस्ती

उपस्थिति :–

1. विद्वान अधिवक्ता :– श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव

निर्णय इ

मूल वाद सं. 01/2023 दिनांक :– 6/12/23

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट नक्शा दुरूस्ती पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी ख.न. 2696/918 रकवा 0.7588 स्थित ग्राम कस्वा जरिहा नं0 01 राजाखेडा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर में स्थित है। विवादित आराजी का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है एवं काविज होकर काश्त व फसल का फायदा उठाता आ रहा है। अर्सा करीब 12 वर्ष पूर्व प्रार्थी की कब्जे व मौके के अनुसार सही तरमीम की गई परन्तु नक्शा ऑनलाईन करते समय नक्शा गलत दर्शा दिया गया है। पहले प्रार्थी की नक्शे में एल आकृति थी जबकि ऑनलाईन नक्शा करते समय नक्शें में एल आकृति समाप्त कर नक्शें में आकृति सीधी कर दी गई है। जो कि गलत है कब्जे व मौके के विपरीत है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी के खेत ख0 नं0 2696/918 से सटा हुआ ख0नं0 2695/918 है जो सिवायचक है। अप्रार्थी संख्या 1 व उनके अधीनस्थ कर्मचारीगण पटवारी हल्का तथा गिरदावर ने प्रार्थी की बैक पर प्रार्थी को बिना सुने कब्जे व मौके के विपरीत नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम कर दी है। जो गलत है एवं काविल दुरूस्ती है, गैर कानूनी तरीके से जो तरमीम की गई है। उसे निरस्त कर पुनः कब्जे के मुताविक नक्शा ट्रेस में तरमीम की जावें। प्रार्थीगण करीब 1 माह से अप्रार्थी संख्या 1 एवं पटवारी गिरदावर के चक्कर नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती बावत् काट रहा है। लेकिन 10 दिन पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 ने नक्शा में दुरूस्ती करने से साफ इन्कार कर बोले हम कोई दुरूस्ती नहीं करेगें अदालत से दुरूस्ती के आदेश कराओं। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थी की विवादित आराजी की सही तरमीम कब्जे व मौके के मुताविक किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर नक्शे में गलत तरमीम दुरूस्त कर कब्जे व मौके के अनुसार नक्शे में एल आकृति में तरमीम की जावें तदनुसार नक्शे में दुरूस्ती हेतु परवाना तहसीलदार राजाखेडा को जारी किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स. 1 व 2 न्यायालय में उपस्थित आये। लेकिन कोई भी जबाब देही नहीं की गई। तहसीलदार राजाखेडा से उक्त संबंध में रिपोर्ट मांगी गयी। तहसीलदार राजाखेडा ने अपने पत्रांक भू0अ0/23/1383 दिनांक 08.09.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तहसीलदार राजाखेड़ा ने अपनी रिपोर्ट में कथन किया कि ग्राम जरिहा नं0 1 में ख0 नं0 2696/918 रकवा 0.7588 की तरमीम के मौके की जॉच पटवारी हल्का जरिहा नं0 1 व भू0 अभि0

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)

निरीक्षक राजाखेडा नम्बर 2 से कराई गई जिसमें आराजी ख0 नं0 2696/918 रकवा 0.7588 है0 स्थित ग्राम जरिहा नं0 1 में गोपाल सिंह पुत्र झम्मन जाति जाटव सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी ख0नं0 मौके पर गोपालसिंह द्वारा ही कब्जा काश्त की जा रही है। खेत की शेप एल आकृति की है। कब्जा व मौके अनुसार नक्शा लठ्ठा के अनुसार भी एल शेप है परन्तु सेग्रीगेशन में सीधी आकृति हो गई है। अतः एल शेप ही किया जाना उचित हैं। उक्त ख0नं0 की तरमीम से केवल सिवायचक ख0नं0 2695/918 प्रभावित है। अतः ख0नं0 2696/918 की आकृति एल शेप किया जाना उचित होगा।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस एवं पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार राजाखेडा का अध्ययन एवं मनन किया। हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते साक्ष्य में स्वंय गोपालससिंह पुत्र झम्मन जाति जाटव निवासी अम्बरपुर के बयान, विवादित ख0नं0 2696/918 नक्शा अक्श, वर्ष 2011 की प्रमाणित प्रति सेग्रीग्रेशन पूर्व प्रदर्श–2, ख0नं0 2696/918 की जमाबन्दी सम्बत 2074–2077, प्रदर्श–1, वर्तमान नक्शा ट्रेस ख0नं0 2696/918 प्रदर्श–3, का अध्ययन मनन अवलोकन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के तहत स्वीकार किया जाकर ख0नं0 2696/918 में राजस्व ऐजेन्सी द्वारा की गई तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार राजाखेडा को आदेश दिये जाते है कि ख0नं0 2696/918 राजस्व ग्राम जरिहा नं0 1 की आकृति एल शेप जो सेग्रीग्रेशन में प्रदर्श–2 नक्शा अक्श की प्रमाणित प्रति वर्ष 2011 में है उसी अनुसार मौके पर जॉच कर नक्शा दुरूस्ती की जाकर पालना से अवगत करावें। पालना हेतु परवाना तहसीलदार राजाखेडा को जारी हों।

पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील होने पर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)